न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2025/408
मुकदमा नम्बर 122/2025 दर्ज दिनांक–10.07.2025

1. सीताराम पुत्र श्री दौलाराम उर्फ दौलतराम
2. अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री पूर्णमल
3. अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री पूर्णमल
4. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री रामगोपाल
5. चौथमल पुत्र बालू
6. मुरलीधर पुत्र श्री दौलाराम
7. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामगोपाल
8. रामस्वरूप पुत्र श्री भूरा
9. शंकरलाल पुत्र श्री रामेश्वर
10. श्यामसुन्दर पुत्र श्री रामगोपाल
11. सुगनचन्द पुत्र श्री टीकुराम
12. सत्यनारायण पुत्र श्री रामगोपाल
13. सतंरा देवी पुत्री रामगोपाल
14. सीतादेवी पुत्री रामगोपाल
15. हरीराम पुत्र श्री बालू
16. राकेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा
17. सुगनचन्द पुत्र श्री टीकूराम
18. सज्जन कुमार पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा
19. सुरेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल समस्त जाति ब्राहमण , निवासी ब्राहमणों की ढणी टोडपुरा, तहसील नवलगढ जिला झुझंनू

बनाम

भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुझंनू

वकील आवेदक : – श्री किशोर कुमार जांगिड
अनावेदक :– पैरो. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 12.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम टोडपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 836 व 840 की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2025 के अनुसार बनाए गये सीमा चिन्हों पर पत्थरगढी करवाई जावे। नाम इ.टी.एस. मशीन से करवाया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित किसी प्रकार का उजर एतराज पेश नही किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्येां को दोहराते हुये प्रा. पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 09,06,2025 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियेां द्वारा तैयार की गई,जिस पर किसी प्रकार का संदेह नही किया जा सकता है परन्तु आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में इ.टी.एस. मशीन से नाप करवाकर पत्थरगढी चाही है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम टोडपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 836 व 840 की पुनः इ.टी.एस. मशीन से नाप करवाते हुये सभी सीमावर्ती व प्रभावित पक्षकारों व खातेदारों की उपस्थित में सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की जावे तथा मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह/पत्थरगढी कायम कर दी जावे।

उक्त कार्य पत्थरगढी के लिये कोई आवश्यक शुल्क अथवा खर्चा होगा तो वह आवेदकगण द्वारा वहन किया जावेगा। यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदकगण द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12/09/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू